कार्यालय प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, राजस्थान, जयपुर

POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED AJMER द्वारा अजमेर जिले के वन मंडल अजमेर के कनास बंसेली ग्राम में 400 के0वी0 ट्रांसमिशन लाइन ***400 kv Power Transmission line*** के निर्माण हेतु वन मंडल अजमेर की 6.35 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/TRANS/18689/2016 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्ताव में पार्ट ।। एवं पार्ट ।।। की पूर्ती कर ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्न कमिया पाई गई है टिप्पणी निम्नानुसार है :–

1. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रसताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है। जो प्रस्तावित है।
2. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में ग्राम कानस एवं देवनगर में वनाधिकार समिति का पत्र अपलोड किया गया है। इसमें बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही समस्त दस्तावेज (ग्राम पंचायत वैठक कार्यवाही विवरण एवं उप खण्ड अधिकारी समिति बैठक कार्यवाही विवरण) भी ऑनलाईन अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
3. उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि पारेषण लाइन के नीचे 656 वृक्षों (ऑनलाईन पोर्टल पर 307 वृक्ष) की सूची उपलब्ध कराई गई है। किन्तु यह स्पष्ट नही किया गया है कि इनमें से कितने वृक्षों का पातन किया जावेगा एवं कितने वृक्षों की छंगाई की जावेगी। पृथक पृथक सूची क्लासवार बनाई जाकर संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
4. उप वन संरक्षक द्वारा वन भूमि पर कराये जाने वाले वृक्षारोपण स्थल का DGPS map संलग्न नही किया गया है। जो प्रस्तावित है।
5. प्रतिपूरक वन क्षैत्र के वृक्षारोपण की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वारा दिया गया है जिस पर उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। जो सही नही है स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र उप वन संरक्षक को ही जारी किया जाना प्रस्तावित है।
6. प्रस्ताव में दो हार्ड प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपूर्ण दस्तावेज (अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र, प्रस्ताव की औचित्यता, पार्ट ।।। आदि) है। इसमें एक प्रति मूल जिसमें सभी दस्तावेज जो बेबपोर्टल पर अपलोड किये गये है मय अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के एवं उप वन संरक्षक द्वारा जारी दस्तावेज, पार्ट ।।, समस्त नक्शे, एरिया केलकुलेशन शीट आदि पर उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने प्रस्तावित है। एक अन्य फोटो प्रति जिसमें हस्ताक्षर ऑरिजिनल हो, दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में पायी गई कमियों की सूचना दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक को लौटाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव में सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक अजमेर को निर्देशित किया जाता है।